विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0028512

श्री आकाश चतुरमोहता, — आवेदक
वार्ड नं. 30, रेल्वे क्रासिंग के पास,
गोंदिया रोड, बालाघाट (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा. संधा.) संभाग,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
बैहर (म.प्र.)

— **अनावेदक**

आदेश
(दिनांक 26.06.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 365/2012 आकाश चतुरमोहता विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 22.08.2012 से असंतुष्ठ होकर यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. फोरम ने उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत को इस आधार पर निरस्त किया है कि उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण सतर्कता दल, छिन्दवाड़ा द्वारा किए जाने पर उसके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 तथा 135 एवं 138 के अंन्तर्गत कार्यवाही की गई है । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1776/एमपीईआरसी/2009 दिनांक 28.08.2009 की कण्डिका 2.4 (**m**) के अनुसार यह वाद शिकायत (**Grievance**) की श्रेणी में नहीं आता तथा कण्डिका 3.35 के अनुसार तत्संबंध में फोरम को कार्यवाही का अधिकार नहीं है ।

3. फोरम के आदेश के विरूद्ध यह अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बाद कभी भी उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुआ, उसने केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है । इसके विपरीत अनावेदक की ओर से उपभोक्ता के अभ्यावेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया है ।

4. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही के संबंध में आपत्ति किए जाने का प्रावधान धारा 127 में है ।

5. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 में विद्युत चोरी को परिभाषित किया गया है और विद्युत चोरी के ऐसे प्रकरणों का निपटारा करने का क्षेत्राधिकार सक्षम दण्ड न्यायालय को दिया गया है । विद्युत के अपराधिकृत/अनाधिकारपूर्वक उपयोग किए जाने का कार्य तथा विद्युत की चोरी का अपराध करने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने का क्षेत्राधिकार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल को प्राप्त नहीं है, अतः फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किए जाने का जो आदेश दिया है वह विधिसंगत प्रतीत होता है । उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक अधिकार नहीं पाया जाता है, अतः फोरम के आदेश की पुष्टि करते हुए उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है ।

17. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल